| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/एलआर/6468/2006/नागौर<br>मोहन राम बनाम सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकलपीठ**
**श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य**

**उपस्थित**
श्री सी.पी. शर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री शिवप्रकाश चौधरी, उपराजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी

**निर्णय**

**दिनांक 18.06.2018**

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–09–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी, जैनाणा ने तहसीलदार, नागौर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम जैनाणा की आराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 09बीघा 17बिस्वा गैर मुमकिन अंगोर पर प्रार्थी मोहन राम द्वारा अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर बाद सुनवाई अपने आदेश दिनांक 27–06–2006 से प्रार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना मानते हुए विवादित आराजी से बेदखली, शास्ती एवं 90 दिवस के कारावास के दण्ड से दण्डित किया। प्रार्थी ने इस निर्णय के विरूद्ध अपर जिला कलेक्टर, नागौर के न्यायालय में अपील पेश की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–07–2006 से खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने द्वितीय अपील राजस्व अपील अधिकारी, नागौर के समक्ष पेश की, जिसे उन्होंने ने अपने निर्णय दिनांक 07–09–2006 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/एलआर/6468/2006/नागौर<br>मोहन राम बनाम सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि निगराधीन आदेश पारत करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया और प्रथम तारीख पेशी को ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निगराकार प्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी से लगकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 193 स्थित है जिस पर प्रार्थी ने कभी कब्जा नहीं किया था, ना ही वर्तमान में कब्जा है। उनका कथन है कि हल्का पटवारी की झुंठी रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण संस्थित कर निगराधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को निरस्त करते हुए सिविल कारावास के आदेश को निरस्त किया जावे।<br><br>योग्य उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने राजकीय गैर मुमकिन बंजड अंगोर की भूमि पर पुनः अनाधिकृत रूप से कब्जा किया, जिसे नियमानुसार तहसीलदार द्वारा बेदखल किये जाने, शास्ती अधिरोपित किये जाने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किये है, जिनमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/एलआर/6468/2006/नागौर<br>मोहन राम बनाम सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

नहीं है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में हल्का पटवारी, जैनाणा ने तहसीलदार, नागौर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम जैनाणा की आराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 09बीघा 17बिस्वा गैर मुमकिन अंगोर पर प्रार्थी मोहन राम द्वारा अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर बाद सुनवाई अपने आदेश दिनांक 27-06-2006 से प्रार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना मानते हुए विवादित आराजी से बेदखली, शास्ती एवं 90 दिवस के कारावास के दण्ड से दण्डित किया।

प्रस्तुत प्रकरण में निगराकार ने कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में डेढ बीघा भूमि पर पेड लगाने व कब्जा होने का कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया। द्वितीय अपील में अपने बचाव हेतु नया तथ्य गढा व पेड लगाने व उसकी सुरक्षा हेतु बाड करने का कथन किया तथा निगरानी मीमों में विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं होना कथन किया है। उक्त आधार प्रथम दृष्टया संदिग्ध है। पूर्व में वर्ष 2005 में अतिक्रमण करने पर कार्यवाही की गयी व बेदखल किया गया। प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय में इसका पूर्ण विवेचन किया गया है। भू-अभिलेख निरीक्षक की रिर्पोट दिनांक 28-7-2006 जो प्रथम अपील न्यायालय द्वारा निर्णय से पर्वू मंगवाई गयी, उसमें भी अतिक्रमण पाया गया।

सार्वजनिक उपयोग की भूमि जो ग्रामों के जलस्त्रोतो हेतु रिक्त रखी जानी अतिआवश्यक है एवं माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा भी समय समय पर तालाबों की

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/एलआर/6468/2006/नागौर<br>मोहन राम बनाम सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | जलप्रवाह सारणियों को अवरूद्ध करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये है। अतः सार्वजनिक उपयोग की भूमि 09बीघा से अधिक भू–भाग पर कब्जा जमाये रखना अनुचित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को इस न्यायालय से भी कोई नरम रूख की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी हमारे समक्ष ऐसी कोई नवीन दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता है, जिससे यह प्रमाणित हो कि तहसीलदार द्वारा पारित निगराधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण हो। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता अथवा अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।<br><br>परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है।<br><br>निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।<br><br>पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।<br><br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**( मोहन लाल नेहरा )**<br>**सदस्य** | |